

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 6-05-2026

विषय सूची

दिल्ली पुलिस का एआई-प्रेरित पुलिस सुधार मॉडल एवं स्मार्ट पुलिसिंग का भविष्य जनहित याचिका अब 'निजी हित याचिका' बन गई है : सर्वोच्च न्यायालय मंत्रिमंडल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कपास उत्पादकता हेतु मिशन (2026-31) सतत विकास हेतु औद्योगिक ऊष्मा का डीकार्बोनाइजेशन भारत का ई-अपशिष्ट प्रबंधन

संक्षिप्त समाचार

तीस्ता नदी

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

UDGAM पोर्टल

गन्ने के लिए न्यायसंगत एवं पारिश्रमिक मूल्य (FRP) – 2026-27

दक्षिण तटीय रेलवे (SCoR) ज़ोन

जमैका

पुलित्ज़र पुरस्कार 2026

दिल्ली पुलिस का एआई-प्रेरित पुलिस सुधार मॉडल एवं स्मार्ट पुलिसिंग का भविष्य

संदर्भ

- हाल ही में, दिल्ली पुलिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग, डिजिटल निगरानी, सामुदायिक भागीदारी तथा संस्थागत जवाबदेही के माध्यम से पुलिसिंग को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती है।

पुलिस आधुनिकीकरण के कारण

- औपनिवेशिक शासन:** भारत की पुलिस व्यवस्था वर्तमान में मुख्यतः 1861 के पुलिस अधिनियम से विरासत में मिले ढांचे पर आधारित है।
- अपराध की बढ़ती जटिलता:** आधुनिक अपराधों में साइबर अपराध, संगठित अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल हैं।
 - पारंपरिक पुलिसिंग पद्धतियाँ इन चुनौतियों के लिए अपर्याप्त हैं।
- शहरीकरण और जनसंख्या दबाव:** तीव्र शहरी विकास ने यातायात जाम, शहरी हिंसा, सार्वजनिक अव्यवस्था और आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है, जबकि पुलिस ढांचा इसके अनुरूप विकसित नहीं हो पाया।
- निम्न पुलिस-जनसंख्या अनुपात:** पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के अनुसार भारत का पुलिस-जनसंख्या अनुपात संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित मानक से कम है।
 - इससे कर्मियों पर अत्यधिक भार, दक्षता में कमी, तनाव और भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है।
- कमजोर जाँच मानक:** अपर्याप्त फॉरेंसिक क्षमता, विलंबित जाँच और प्रशिक्षण की कमी के कारण कई अपराधों में दोषसिद्धि दर कम है।
- जनविश्वास और जवाबदेही:** हिरासत में हिंसा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप और एफआईआर दर्ज करने में देरी जैसी समस्याओं ने पुलिस संस्थानों पर विश्वास को कमजोर किया है।

भारत में पुलिस आधुनिकीकरण के प्रमुख प्रयास

- पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना:** गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य पुलिस अवसंरचना उन्नयन, गतिशीलता और हथियारों में सुधार, फॉरेंसिक क्षमता वृद्धि तथा संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण है।
- अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (CCTNS):** यह एक राष्ट्रीय नेटवर्क है जो पुलिस थानों को डिजिटल रूप से जोड़ता है।
 - इसके उद्देश्यों में ऑनलाइन एफआईआर पंजीकरण, अपराधी डेटाबेस एकीकरण और अंतर-राज्यीय समन्वय शामिल हैं।
- अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS):** यह पुलिस, न्यायालय, जेल, अभियोजन और फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को जोड़ती है ताकि आपराधिक न्याय की सुचारु डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।
- SMART पुलिसिंग पहल:** इसका अर्थ है — सख्त और संवेदनशील; आधुनिक और गतिशील; सतर्क और जवाबदेह; भरोसेमंद और तत्पर; तकनीक-कुशल और प्रशिक्षित।
- राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड (NATGRID):** यह सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली (ERSS-112):** यह पुलिस, अग्निशमन और एम्बुलेंस सेवाओं के लिए एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया मंच है।

दिल्ली पुलिस आधुनिकीकरण पहल की प्रमुख विशेषताएँ

- एआई-आधारित पूर्वानुमान पुलिसिंग:** अपराध हॉटस्पॉट की पहचान और अपराध गतिविधियों के पैटर्न का पूर्वानुमान।
 - इसमें ऐतिहासिक अपराध डेटा का विश्लेषण, वास्तविक समय अपराध मानचित्रण, डेटा-आधारित गश्त तैनाती और आदतन अपराधियों की पहचान शामिल है।

- **एकीकृत डिजिटल निगरानी:** सीसीटीवी नेटवर्क विस्तार, चेहरे की पहचान प्रणाली, ड्रोन निगरानी और बॉडी-वॉर्न कैमरों का उपयोग।
- **साइबर अपराध प्रतिक्रिया सुदृढीकरण:** ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए साइबर अपराध जांच प्रशिक्षण, डिजिटल फॉरेंसिक क्षमता और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ सहयोग पर बला।
- **सामुदायिक पुलिसिंग और नागरिक सहभागिता:** मोहल्ला समितियाँ, आरडब्ल्यूए सहभागिता, जनसंवाद बैठकें, नागरिक-उन्मुख मोबाइल एप्लिकेशन और साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता अभियान।
 - यह 'सहमति द्वारा पुलिसिंग' की अवधारणा को दर्शाता है।
- **महिला एवं बाल सुरक्षा पर ध्यान:** गुमशुदा बच्चों की खोज, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों का त्वरित निपटारा, महिला सहायता डेस्क और महिला गश्ती इकाइयाँ।
- **स्मार्ट अवसंरचना और गतिशीलता:** स्मार्ट पुलिस थाने, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन, जीपीएस-सक्षम गश्ती वाहन, त्वरित प्रतिक्रिया बाइक और एकीकृत कमांड केंद्र।

पुलिस आधुनिकीकरण में चुनौतियाँ

- **गोपनीयता और निगरानी चिंताएँ:** एआई निगरानी और चेहरे की पहचान गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, जन निगरानी को सक्षम बना सकती है और नागरिक डेटा के दुरुपयोग का कारण बन सकती है।
- **एल्गोरिदमिक पक्षपात का जोखिम:** पूर्वानुमान पुलिसिंग प्रणाली वर्तमान सामाजिक पक्षपात को सुदृढ कर सकती है और कमजोर समुदायों को असमान रूप से लक्षित कर सकती है।
- **अपर्याप्त वित्तपोषण:** कई राज्यों में बजटीय सीमाएँ, उन्नत उपकरणों की कमी और खराब रखरखाव क्षमता।
- **कुशल कर्मियों की कमी:** साइबर फॉरेंसिक, डेटा विश्लेषण, एआई प्रणाली और वित्तीय जांच में विशेषज्ञता का अभाव।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:** बार-बार तबादले और बाहरी दबाव पेशेवर स्वतंत्रता, जवाबदेही और संस्थागत अखंडता को प्रभावित करते हैं।

- **कमजोर पुलिस-जन संबंध:** भय आधारित पुलिसिंग परंपराएँ कई क्षेत्रों में जारी हैं। विश्वास के बिना सामुदायिक पुलिसिंग सफल नहीं हो सकती।

आगे की राह

- **सर्वोच्च न्यायालय पुलिस सुधार निर्देशों का क्रियान्वयन:** प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ (2006) के निर्णय में अधिकारियों के लिए निश्चित कार्यकाल, राज्य सुरक्षा आयोग और जांच को कानून-व्यवस्था से अलग करने की सिफारिश की गई थी, परंतु क्रियान्वयन अधूरा है।
- **नैतिक और विनियमित एआई उपयोग:** भारत को एआई जवाबदेही ढाँचे बनाने चाहिए, स्वतंत्र ऑडिट सुनिश्चित करने चाहिए, गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और भेदभावपूर्ण पुलिसिंग को रोकना चाहिए।
- **फॉरेंसिक अवसंरचना सुदृढीकरण:** अधिक फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ, तीव्र रिपोर्टिंग और एआई-सहायता प्राप्त जांच उपकरण।
- **मानव संसाधन में निवेश:** साइबर सुरक्षा, व्यवहारिक पुलिसिंग, नैतिकता और संकट प्रबंधन में नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है।
- **सामुदायिक पुलिसिंग को गहराई देना:** पुलिस सुधारों को नागरिक विश्वास, स्थानीय सहभागिता, पारदर्शिता और सुगमता को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय:** राज्य पुलिस, सीबीआई, एनआईए, I4C और खुफिया एजेंसियों के बीच एकीकृत प्रतिक्रिया आवश्यक है।

स्रोत: IE

जनहित याचिका अब 'निजी हित याचिका' बन गई है : सर्वोच्च न्यायालय

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा है कि जनहित याचिका (PIL) हाल के समय में 'निजी हित याचिका', 'प्रचार हित याचिका' और यहाँ तक कि 'पैसा' तथा 'राजनीतिक' हित याचिका में परिवर्तित हो गई है।

जनहित याचिका (PIL)

- जनहित याचिका (PIL) का अर्थ है न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला या याचिका दायर करना जिसका उद्देश्य जनहित की रक्षा, संरक्षण या प्रवर्तन करना हो।
- यह एक विशिष्ट तंत्र है जिसे भारतीय न्यायपालिका ने आपातकाल के बाद प्रारंभ किया ताकि “सामाजिक न्याय आम आदमी की पहुँच में लाया जा सके।”
- संविधान में PIL का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि यह न्यायिक व्याख्या के माध्यम से विकसित हुआ है।
- सभी भारतीय नागरिक या संगठन सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 अथवा उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जनहित याचिका दायर कर सकते हैं।
 - याचिका दायर करने वाले व्यक्ति या संगठन को न्यायालय को यह सिद्ध करना होता है कि याचिका जनहित से संबंधित है और इससे व्यापक जनसमुदाय को लाभ होगा।
- PIL केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नगर सरकारों के विरुद्ध दायर की जा सकती है, व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं।

भारत में कुछ ऐतिहासिक निर्णय

- **हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य:** भारत में PIL का प्रथम दर्ज मामला, जिसने कैदियों और विचाराधीन कैदियों की अमानवीय परिस्थितियों पर ध्यान आकर्षित किया।
- **विशाखा बनाम राजस्थान राज्य:** कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामला। इसके परिणामस्वरूप 1997 में विशाखा दिशानिर्देश लागू हुए।
- **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ:** गंगा बेसिन में प्रदूषण से संबंधित मामला। लाखों लोगों पर जल और वायु प्रदूषण के प्रभावों को रोकने हेतु निर्देश दिए गए।
- **परमानंद कटारा बनाम भारत संघ:** इस मामले में अस्पतालों को आपातकालीन दुर्घटना मामलों को पुलिस जांच लंबित होने की चिंता किए बिना संभालने की सुविधा देने की मांग की गई।
 - निर्णय ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों/डॉक्टरों को सड़क दुर्घटना पीड़ित को तत्काल चिकित्सा सहायता देने को अनिवार्य बनाया।

जनहित याचिका का महत्व

- यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक निकाय अपनी शक्तियों की सीमाओं के अंदर उचित रूप से कार्य करें और सटीक निर्णय लें।
- यह न्यायाधीशों को विधायन समझने और कानून विकसित करने में सहायता कर कानून के दायरे का विस्तार करती है।
- यह उपभोक्ता कल्याण, पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे व्यापक सार्वजनिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह कमजोर लोगों को आवाज देती है और उन्हें अपने अधिकारों का समर्थन करने का मंच प्रदान करती है।
- यह मीडिया कवरेज और बहसों के माध्यम से महत्वपूर्ण सार्वजनिक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होती है।

जनहित याचिका से संबंधित चिंताएँ

- भारतीय न्यायपालिका पहले से ही लंबित मामलों के भारी भार से ग्रस्त है, और PIL याचिकाएँ इस भार में वृद्धि कर सकती हैं।
- जिन याचिकाओं में कोई महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा नहीं होता, वे न्यायालय का समय व्यर्थ कर सकती हैं।
- कभी-कभी PIL का दुरुपयोग व्यक्तिगत शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे जनहित याचिका निजी हित याचिका बन जाती है।
- न्यायालय के निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना, PIL की सफलता में बड़ी बाधा है।
- कभी-कभी PIL न्यायिक अतिक्रमण का कारण बन सकती है, अर्थात् न्यायालय विधायी और कार्यकारी शाखाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं।

निष्कर्ष

- भारत में जनहित याचिका (PIL) जनहित मामलों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। इसने भारतीय न्यायपालिका को सामाजिक न्याय के लिए एक सक्रिय संस्था में परिवर्तित किया है, किंतु इसकी प्रभावशीलता जिम्मेदार उपयोग पर निर्भर करती है।

स्रोत: TH

मंत्रिमंडल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि को स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 (जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं) से बढ़ाकर कुल 38 करने की स्वीकृति प्रदान की है।
 - यह प्रस्ताव संसद के आगामी सत्र में सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 124(1) संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और बढ़ाने का अधिकार देता है।
- संविधान में प्रारंभिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम सात न्यायाधीशों का प्रावधान था, जिससे भविष्य में विस्तार की लचीलापन सुनिश्चित हो सके।
- यह संवैधानिक व्यवस्था न्यायिक क्षमता को बदलती सामाजिक-आर्थिक और विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने की आवश्यकता को दर्शाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का विकास

- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 ने प्रारंभ में न्यायाधीशों की संख्या (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) 10 तय की थी।
- 1960 संशोधन द्वारा संख्या 13 और 1977 संशोधन द्वारा 17 की गई।
- बाद के संशोधनों द्वारा संख्या क्रमशः बढ़ाई गई और 2019 संशोधन द्वारा इसे 33 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) तक बढ़ाया गया।

संख्या वृद्धि का औचित्य

- **मामलों की लंबित संख्या में वृद्धि:** सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में 92,000 से अधिक लंबित मामलों का सामना कर रहा है।
 - महामारी के बाद ई-फाइलिंग और डिजिटल तंत्रों के कारण मामलों का प्रवाह और बढ़ा है।

- **न्यायिक रिक्तियाँ और सेवानिवृत्तियाँ:** वर्तमान रिक्तियों ने न्यायाधीशों की प्रभावी कार्यशील क्षमता को कम कर दिया है।
 - 2026 में कई न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने वाली है, जिससे क्षमता पर और दबाव पड़ेगा।
- **विस्तारित अधिकार क्षेत्र और कार्यभार:** सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों, अपीलिय अधिकार क्षेत्र और जनहित याचिकाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।
 - शासन एवं विधिक विवादों की बढ़ती जटिलता ने कार्यभार को अत्यधिक बढ़ा दिया है।
- **सुधार अभियान:** विधि आयोग (120वीं और 245वीं रिपोर्ट) ने न्यायिक शक्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
 - ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में भी न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।

चिंताएँ

- **संख्या बनाम गुणवत्ता:** केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना लंबित मामलों की समस्या का समाधान नहीं कर सकता।
- **संरचनात्मक बाधाएँ:** सीमित न्यायालयीन अवसंरचना और प्रशासनिक क्षमता दक्षता को प्रभावित करती हैं।
- **मामला प्रबंधन समस्याएँ:** बार-बार स्थगन जैसी प्रक्रियात्मक देरी लंबित मामलों में बड़ा योगदान देती है।
- **मामलों का केंद्रीकरण:** बड़ी संख्या में अपीलें सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचती हैं, जिससे इसका ध्यान मूल संवैधानिक कार्यों से भटकता है।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी के उपयोग से मामला प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना, मामलों के निपटान की दक्षता बढ़ा सकता है।
- मध्यस्थता और पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना न्यायालयों पर भार कम कर सकता है।
- विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) के प्रवाह को तर्कसंगत बनाना सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

- निचली न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों की क्षमता बढ़ाना सभी स्तरों पर लंबित मामलों को संबोधित करने के लिए आवश्यक है।

स्रोत: TH

कपास उत्पादकता हेतु मिशन (2026-31)

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास उत्पादकता मिशन (2026-27 से 2030-31) के लिए ₹5659.22 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है।

परिचय

- यह मिशन स्थिर उपज, कीटों की संवेदनशीलता, गुणवत्ता की कमी और आयात पर निर्भरता जैसी चुनौतियों को लक्षित करता है। साथ ही यह भारत के वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाने हेतु एकीकृत 5F दृष्टि (खेत से रेशे तक, फैक्ट्री से फैशन तक, और फिर विदेश तक) पर आधारित है।

मिशन की प्रमुख विशेषताएँ

- क्रियान्वयन एजेंसियाँ:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय + वस्त्र मंत्रालय, 10 आईसीएआर संस्थानों और सीएसआईआर के सहयोग से।
- कवरेज:** प्रारंभिक चरण में 14 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 140 जिले।
- मुख्य फोकस क्षेत्र:** जलवायु-स्मार्ट बीज विकास, कीट-प्रतिरोधी किस्में, अतिरिक्त लंबा रेशा (ELS) कपास का प्रोत्साहन, यंत्रीकरण और जिनिंग गुणवत्ता उन्नयन।
 - अतिरिक्त लंबा रेशा कपास (गॉसिपियम बारबैडेन्स):** 30 मिमी या उससे अधिक रेशा लंबाई वाला कपास प्रीमियम वर्गों में स्वर्ण मानक माना जाता है। भारत वर्तमान में इसे मिस्र और अमेरिका से भारी मात्रा में आयात करता है।
- लक्ष्य (2031 तक):** कपास उत्पादन को 498 लाख गांठों (प्रत्येक 170 किग्रा लिंट) तक पहुँचाना, लिंट उत्पादकता को 440 किग्रा/हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किग्रा/हेक्टेयर करना।
 - कस्तूरी कॉटन भारत का प्रोत्साहन:** ट्रेसबिलिटी

और प्रमाणन हेतु, अपशिष्ट की मात्रा <2% तक घटाने का लक्ष्य। साथ ही फ्लैक्स, रामी, सिसल, मिल्कवीड, बाँस और केला जैसे प्राकृतिक रेशों को बढ़ावा।



भारत में कपास की खेती

- कपास को लोकप्रिय रूप से “सफेद सोना” कहा जाता है। यह अर्ध-शुष्क पौधा है और उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय परिस्थितियों में उगाया जाता है।
- कपास को गहरी जलोढ़ मिट्टी (उत्तर), काली कपास/रेगुर मृदा (मध्य/दक्कन), लाल-काली मिश्रित मृदा (दक्षिण) की आवश्यकता होती है।
- भारत एकमात्र देश है जो कपास की सभी चार प्रजातियाँ उगाता है — जी. आर्बोरियम और जी. हर्बेसियम (एशियाई कपास), जी. बारबाडेन्स (मिस्री कपास) और जी. हिर्मुतुम (अमेरिकी अपलैंड कपास)।
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता (चीन के बाद) है, तथा वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा खेती क्षेत्र रखता है।
- वस्त्र मंत्रालय के अनुसार भारत में नौ प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं, जिन्हें तीन कृषि-पर्यावरणीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:
 - उत्तरी क्षेत्र** – पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
 - मध्य क्षेत्र** – गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
 - दक्षिणी क्षेत्र** – तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक

मिशन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **HDPS अपनाने में सिंचाई घाटा:** उच्च घनत्व रोपण प्रणाली (HDPS) के लिए सुनिश्चित मृदा आर्द्रता आवश्यक है। वर्षा-आधारित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के बिना HDPS विफल हो सकता है।
- **खंडित भूमि स्वामित्व:** अधिकांश कपास किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि रखते हैं। यंत्रीकृत कटाई और HDPS जैसी पूंजी-गहन तकनीकें छोटे किसानों की वास्तविकता से सामंजस्यशील नहीं हैं।
- **मृदा स्वास्थ्य ह्रास:** दशकों की एकल फसल और रासायनिक उर्वरकों के भारी उपयोग ने पारंपरिक कपास पट्टियों में मृदा कार्बन को घटा दिया है।
- **यंत्रीकरण अंतराल:** यंत्रीकृत कपास हार्वेस्टर व्यक्तिगत किसानों के लिए महंगे हैं। सुदृढ़ कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) या सहकारी मॉडल के बिना, तुड़ाई मौसम में श्रम की कमी बनी रहती है।
- **किसानों का व्यवहारिक प्रतिरोध:** पारंपरिक दूरी और बीज किस्मों से किसानों को हटाना गहन विस्तार सेवाओं, जोखिम-निवारण गारंटी और वित्तीय प्रोत्साहन की मांग करता है।

आगे की राह: मिशन को सुदृढ़ करना

- **विस्तार सेवाएँ:** कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) को सक्रिय “प्रयोगशाला से खेत” हस्तांतरण हेतु संगठित करना।
- **सिंचाई अभिसरण:** पीएमकेएसवाई – हर बूंद, अधिक फसल के साथ एकीकृत कर वर्षा-आधारित कपास क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई समर्थन प्रदान करना।
- **अगली पीढ़ी का एकीकृत कीट प्रबंधन:** फेरोमोन ट्रेप, जैव-कीटनाशक और शरण फसल रोपण को Bt बीज वितरण के साथ अनिवार्य करना।
- **यंत्रीकरण प्रोत्साहन:** CHCs और FPO-नेतृत्व वाले सहकारी मॉडलों के माध्यम से यंत्रीकृत हार्वेस्टर हेतु समानांतर सब्सिडी।
- **डिजिटल कृषि (एग्री-स्टैक):** एआई एवं उपग्रह आधारित स्थानीय परामर्श को किसानों के स्मार्टफोन पर मौसम, मृदा की आर्द्रता और प्रारंभिक कीट चेतावनी हेतु लागू करना।

स्रोत:PIB

सतत विकास हेतु औद्योगिक ऊष्मा का डीकार्बोनाइजेशन

संदर्भ

- हॉर्मुज जलडमरूमध्य में भू-राजनीतिक अस्थिरता और भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता यह स्पष्ट करती है कि ऊर्जा सुरक्षा एवं सततता के लिए औद्योगिक ऊष्मा का विद्युतीकरण आवश्यक है।

औद्योगिक ऊष्मा क्या है?

- औद्योगिक ऊष्मा से आशय उस तापीय ऊर्जा से है जो वस्त्र, सिरेमिक, इस्पात और रसायन जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक होती है।
- इसका उपयोग भाप उत्पादन, सुखाने, रंगाई और 1000°C से अधिक तापमान वाले भट्टी संचालन में होता है।
- यह भारत की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 25% हिस्सा है।
 - केवल औद्योगिक प्रक्रिया भाप ही भारत में लगभग 182 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन करती है।
 - कोयला, फर्नेस ऑयल, बायोमास और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन औद्योगिक हीटिंग सिस्टम में प्रमुख हैं, जिससे SO₂, NO_x और कणीय पदार्थ उत्सर्जन होता है और वायु गुणवत्ता बिगड़ती है।
 - प्रमुख क्षेत्र: वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, रसायन, औषधि और कागज उद्योग।

औद्योगिक ऊष्मा के विद्युतीकरण की आवश्यकता

- **ऊर्जा सुरक्षा:** आयातित जीवाश्म ईंधन पर भारी निर्भरता उद्योगों को भू-राजनीतिक आघातों और मूल्य अस्थिरता के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- **डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्य:** औद्योगिक ऊष्मा कार्बन उत्सर्जन का बड़ा स्रोत है, विद्युतीकरण भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को समर्थन दे सकता है।
- **दक्षता सुधार:** पारंपरिक बॉयलर 20–30% ऊर्जा खो देते हैं, जबकि विद्युत तकनीकें 90% से अधिक दक्षता प्राप्त कर सकती हैं।
- **ऊष्मा संप्रभुता:** विद्युतीकरण घरेलू रूप से उत्पन्न, नवीकरणीय-आधारित ऊष्मा प्रणालियों की ओर बदलाव सक्षम करता है।

विद्युतीकरण हेतु तकनीकी मार्ग

- **केंद्रित सौर तापीय (CST):** दर्पणों का उपयोग कर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित कर कार्यशील द्रव (जैसे पानी या पिघला हुआ नमक) को गर्म करना
 - ~400°C तक तापमान प्राप्त कर सकता है, जो मध्यम तापमान औद्योगिक प्रक्रियाओं (100–180°C) के लिए उपयुक्त है।
 - भारत में अनुमानित CST क्षमता 6.4 GW है, पर अपनाने की दर सीमित है।
 - ऑन-साइट ऊष्मा उत्पादन और भंडारण सक्षम करता है।
- **औद्योगिक हीट पंप:** विद्युत का उपयोग कर ऊष्मा का स्थानांतरण और उन्नयन करते हैं।
 - 3–5 COP के साथ अत्यधिक दक्ष।
 - 150–200°C तक के निम्न-मध्यम तापमान अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।
- **इंडक्शन हीटिंग:** विद्युतचुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग कर सामग्री के अंदर सीधे ऊष्मा उत्पन्न करता है।
- **प्लाज़्मा हीटिंग:** गैस को आयनीकृत कर अत्यधिक उच्च तापमान उत्पन्न करता है, उच्च तापमान उद्योगों के लिए उपयुक्त।

विद्युतीकरण में चुनौतियाँ

- **ग्रिड तत्परता:** औद्योगिक ऊष्मा का विद्युतीकरण बिजली मांग को काफी बढ़ा देगा। औद्योगिक क्लस्टरों में वितरण अवसंरचना पहले से ही दबाव में है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा की अस्थिरता:** सौर और पवन ऊर्जा अस्थिर हैं, जबकि औद्योगिक प्रक्रियाओं को निरंतर ऊष्मा आपूर्ति चाहिए।
- **भंडारण सीमाएँ:** बैटरी और पंप्ड हाइड्रो जैसी ऊर्जा भंडारण अवसंरचना भारत में अभी अपर्याप्त है।
- **उच्च पूंजी लागत:** CST प्रणालियाँ और विद्युत भंडारण उच्च प्रारंभिक निवेश मांगती हैं।

वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ

- **ओमान का मिराह प्रोजेक्ट:** CST तकनीक को गैस-आधारित औद्योगिक प्रणालियों के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया।

- **डेनमार्क का हीट परचेज़ एग्रीमेंट:** तृतीय-पक्ष प्रदाता ऊष्मा उत्पादन प्रणालियाँ स्थापित, संचालित और बनाए रखते हैं। उद्योग निश्चित और पूर्वानुमेय लागत पर ऊष्मा खरीदते हैं।

आगे की राह

- भारत को औद्योगिक ऊष्मा डीकार्बोनाइजेशन हेतु राष्ट्रीय तापीय नीति बनानी चाहिए।
- CST और औद्योगिक हीट पंप जैसी तकनीकों को प्रोत्साहन देने हेतु उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन (PLI), सब्सिडी और त्वरित मूल्यहास जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- ग्रिड आधुनिकीकरण और अवसंरचना उन्नयन आवश्यक है।
- CST, हीट पंप और बैकअप प्रणालियों को संयोजित कर हाइब्रिड समाधान को बढ़ावा देना चाहिए ताकि औद्योगिक ऊष्मा आपूर्ति विश्वसनीय एवं दक्ष हो सके।

स्रोत: TH

भारत का ई-अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ

- भारत के पर्यावरण नीति मंथन सम्मेलन में यह खुलासा हुआ कि वित्त वर्ष 2023–24 में 6.2 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न हुआ।

परिचय

- भारत ने FY24 में 6.2 मिलियन टन ई-अपशिष्ट उत्पन्न किया, जो 2030 तक बढ़कर 14 मिलियन टन तक पहुँचने की संभावना है।
- औपचारिक पुनर्चक्रण क्षमता लगभग 2 मिलियन टन तक सीमित है, जिससे उत्पादन और प्रसंस्करण के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।
- परिणामस्वरूप केवल लगभग 10% ई-अपशिष्ट औपचारिक रूप से पुनर्चक्रित होता है, जो वैश्विक मानकों से काफी कम है।
- ई-अपशिष्ट में लगभग 33% धातुएँ होती हैं, जिनमें कीमती और महत्वपूर्ण खनिज शामिल हैं।

- भारत के ई-अपशिष्ट में निहित कुल आर्थिक मूल्य का अनुमान ₹51,000 करोड़ है, जिसमें से ₹30,600 करोड़ तकनीकी रूप से पुनः प्राप्त किया जा सकता है।

ई-अपशिष्ट क्या है?

- ई-अपशिष्ट से आशय त्यागे गए विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है, जैसे कंप्यूटर, सर्किट बोर्ड, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरण।
- इसमें सीसा, पारा, कैडमियम और ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं।
- अनुचित निपटान से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न होते हैं।

भारत में ई-अपशिष्ट की स्थिति

- भारत विश्व में ई-अपशिष्ट का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन और अमेरिका के बाद।
- ग्लोबल ई-अपशिष्ट मॉनिटर के अनुसार भारत में ई-अपशिष्ट उत्पादन 2020 में ~2.76 MMT से बढ़कर 2024 में ~6.19 MMT हुआ और 2030 तक 14 MMT तक पहुँचने का अनुमान है।
- कंप्यूटर उपकरण ई-अपशिष्ट का सबसे बड़ा हिस्सा (65%) बनाते हैं, इसके बाद बड़े उपकरण और चिकित्सा उपकरण (15%), दूरसंचार उपकरण (12%) और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (8%) आते हैं।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

- **ई-अपशिष्ट में तीव्रता से वृद्धि:** तकनीकी प्रगति और उत्पादों के छोटे जीवन चक्र के कारण ई-अपशिष्ट लगातार बढ़ रहा है।
- **अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व:** भारत में 90-95% ई-अपशिष्ट अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा असुरक्षित तरीकों (जैसे अम्ल लीचिंग और खुले में जलाना) से प्रसंस्कृत होता है।
- **अपर्याप्त अवसंरचना:** अधिकृत संग्रह केंद्रों और पुनर्चक्रण इकाइयों की सीमित संख्या, कमजोर लॉजिस्टिक्स और रिवर्स सप्लाय चैन प्रभावी संग्रहण में बाधा डालते हैं।
- **कमजोर ट्रेकिंग:** उत्पन्न मात्रा और पुनर्चक्रण दरों पर विश्वसनीय डेटा की कमी से अनौपचारिक चैनलों में रिसाव होता है।

अनुचित ई-अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव

- **जल प्रदूषण:** साइनाइड और सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाला विषाक्त उत्सर्जन जल निकायों को प्रभावित करता है।
- **वायु प्रदूषण:** सीसा धुँ और प्लास्टिक जलाने से गंभीर उत्सर्जन होता है।
- **मृदाप्रदूषण:** खतरनाक पदार्थ मृदा में रिसकर कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुँचाते हैं।
- **आर्थिक हानि:** भारत को प्रत्येक वर्ष ₹80,000 करोड़ से अधिक मूल्य की महत्वपूर्ण धातुओं की हानि होती है।
 - अनुमान है कि ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्र में औपचारिक लेखांकन और नियामक निगरानी की अनुपस्थिति के कारण भारत को कम से कम \$20 बिलियन वार्षिक कर राजस्व की हानि होती है।

भारत में ई-अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पहल

- **विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR):** उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को उनके उत्पादों के जीवन-चक्र के अंत में उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।
- **ऑनलाइन EPR ई-अपशिष्ट पोर्टल:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा विकसित, जहाँ उत्पादक, निर्माता, पुनर्चक्रक और पुनर्नवीनीकरणकर्ता पंजीकरण करते हैं।
- **ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022:** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2016 के नियमों को संशोधित कर अधिसूचित किए।
- **भारत का पहला ई-अपशिष्ट क्लिनिक:** भोपाल, मध्य प्रदेश में उद्घाटित, जहाँ घरेलू और वाणिज्यिक इकाइयों से ई-अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं निपटान होता है।
- **पैन-इंडिया ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण अभियान:** खनन मंत्रालय द्वारा स्पेशल कैम्पेन 5.0 (2025) के अंतर्गत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देना और ई-अपशिष्ट से वैज्ञानिक निपटान व संसाधन पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

बेसल कन्वेंशन

- बेसल कन्वेंशन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य खतरनाक अपशिष्ट की सीमा-पार आवाजाही और उसके निपटान को नियंत्रित करना है।
- यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन हो।
- इसके प्रावधान:
 - आयातक देशों की पूर्व-सूचित सहमति।
 - खतरनाक अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित प्रबंधन।
 - अवैध अपशिष्ट शिपमेंट को निर्यातक के खर्च पर वापस भेजना।
- इसे 1989 में अपनाया गया और 1992 में लागू किया गया। भारत इसका पक्षकार है।

आगे की राह

- भारत की ई-अपशिष्ट चुनौती तकनीकी प्रगति और पर्यावरणीय सततता के बीच व्यापक संघर्ष को दर्शाती है।
- जैसे-जैसे देश डिजिटल सीढ़ी चढ़ता है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि विषाक्त अपशिष्ट उसकी आर्थिक और पारिस्थितिक नींव को कमजोर न करे।
- लक्ष्य केवल ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि मूल्य निकालना, स्वास्थ्य की रक्षा करना और हरित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होना चाहिए।

स्रोत: DTE

संक्षिप्त समाचार

तीस्ता नदी**समाचार में**

- बांग्लादेश ने लंबे समय से लंबित तीस्ता जल-बंटवारा समझौते को आगे बढ़ाने का अनुरोध पुनः किया है।

तीस्ता नदी

- यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है।
- इसका उद्गम उत्तर सिक्किम में लगभग 5,280 मीटर की ऊँचाई पर त्सो ल्हामो झील से होता है।

- यह सिक्किम में लगभग 150 किमी और पश्चिम बंगाल में 123 किमी प्रवाहित के पश्चात कूचबिहार जिले के मेखलीगंज से बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
- बांग्लादेश में यह 140 किमी प्रवाहित होकर अंततः बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

भारत और बांग्लादेश के लिए महत्व

- तीस्ता बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी अंतर-सीमाई नदी है और इसका बाढ़क्षेत्र बांग्लादेश में 2,750 वर्ग किमी क्षेत्र को आच्छादित करता है।
- नदी का 83% जलग्रहण क्षेत्र भारत में और शेष 17% बांग्लादेश में है, जो वहाँ की 8.5% जनसंख्या और 14% कृषि उत्पादन का समर्थन करता है।

समझौता

- भारत और बांग्लादेश ने 2011 में तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर सिद्धांततः सहमति बनाई थी, परंतु केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच समन्वय की कमी के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
- वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बांग्लादेश ने आशा व्यक्त की है कि 2011 का समझौता पुनः विचाराधीन हो सकता है।

स्रोत: TH

राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन की अनुमति दी है।

परिचय

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के गायन में किसी भी प्रकार का अपमान या बाधा डालना दंडनीय अपराध बनाना।
- वर्तमान में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान इस अधिनियम में उल्लिखित है और इसके लिए तीन वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

वंदे मातरम्

- वंदे मातरम् का रचनाकर्म बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में किया और यह प्रथम बार 1882 में आनंदमठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ।
 - आनंदमठ 1769-73 के बंगाल अकाल और सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित है।
- 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा प्रथम बार गाया गया, जिससे इसे राष्ट्रीय पहचान मिली।
- 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान यह नागरिक प्रतिरोध का गान बनकर उभरा।
- 7 अगस्त 1905 को प्रथम बार राजनीतिक नारे के रूप में प्रयोग हुआ।
- **राष्ट्रीय गीत:** 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम् को भारत का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया।

संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 51A(a) मौलिक कर्तव्य:** प्रत्येक नागरिक को संविधान का पालन करने और उसके आदर्शों व संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करने का निर्देश देता है।
- **स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण का अभाव:** राष्ट्रीय गान के विपरीत वंदे मातरम् को किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा स्पष्ट संरक्षण प्राप्त नहीं है।
 - इसका दर्जा संविधान सभा के संकल्पों से आता है, न कि लागू संवैधानिक पाठ से।

स्रोत: TH

आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0

समाचार में

- प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को स्वीकृति प्रदान की।

परिचय

- यह योजना पश्चिम एशिया की स्थिति के कारण तरलता संकट का सामना कर रहे व्यवसायों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

- योजना का उद्देश्य ₹2,55,000 करोड़ की अतिरिक्त ऋण प्रवाह सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे MSMEs और विमानन क्षेत्र वित्तीय अस्थिरताओं से निकल सकें।
- यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने में सक्षम बनाएगी, जिसमें सरकार समर्थित गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा दी जाएगी।
- योजना MSMEs के लिए 100% और गैर-MSMEs (विमानन क्षेत्र सहित) के लिए 90% ऋण गारंटी प्रदान करती है।

प्रमुख विशेषताएँ

- **पात्र उधारकर्ता:** MSMEs और गैर-MSMEs जिनके पास कार्यशील पूंजी सीमा है तथा 31 मार्च 2026 तक मानक खाते हैं। अनुसूचित यात्री एयरलाइंस भी शामिल।
- **गारंटी कवरेज:** MSMEs के लिए 100% और गैर-MSMEs व विमानन क्षेत्र के लिए 90%।
- **गारंटी शुल्क:** शून्य।
- **सहायता की मात्रा:**
 - **MSMEs/गैर-MSMEs:** Q4 FY26 में प्रयुक्त अधिकतम कार्यशील पूंजी का 20% तक अतिरिक्त ऋण (₹100 करोड़ तक सीमित)।
 - **एयरलाइंस:** 100% तक अतिरिक्त ऋण (₹1,500 करोड़ प्रति उधारकर्ता तक, विशिष्ट शर्तों के अधीन)।
- **ऋण की अवधि:**
 - **MSMEs/गैर-MSMEs (विमानन क्षेत्र को छोड़कर):** प्रथम वितरण तिथि से 5 वर्ष, जिसमें 1 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल।
 - **विमानन क्षेत्र:** प्रथम वितरण तिथि से 7 वर्ष, जिसमें 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि शामिल।
- **गारंटी कवरेज की अवधि:** ऋण की अवधि के साथ सह-समाप्त।
- **योजना की अवधि:** यह योजना NCGTC द्वारा दिशा-निर्देश जारी होने की तिथि से 31.03.2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।

स्रोत: DD

UDGAM पोर्टल

संदर्भ


- भारतीय रिज़र्व बैंक ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि 30 बैंकों को UDGAM पोर्टल में एकीकृत किया गया है।

UDGAM पोर्टल क्या है?

- UDGAM (अनक्लेमड डिपॉजिट – जानकारी पाने का गेटवे) पोर्टल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य अप्रयुक्त बैंक जमा के लिए एक केंद्रीकृत खोज सुविधा प्रदान करना है।
- यह नागरिकों को एक ही मंच पर कई भागीदार बैंकों में अप्रयुक्त शेष राशि की पहचान करने में सक्षम बनाता है।
- यह पोर्टल दावों का निपटान नहीं करता, बल्कि उपयोगकर्ताओं को संबंधित बैंकों की ओर निर्देशित करता है जहाँ जमा रखे गए हैं।

अनक्लेमड वित्तीय परिसंपत्तियाँ क्या हैं?

- जब वित्तीय संस्थानों के पास रखी गई राशि को खाता धारक या उनके वैध उत्तराधिकारियों द्वारा लंबे समय तक दावा नहीं किया जाता, तो उसे अनक्लेमड वित्तीय परिसंपत्ति कहा जाता है।



- यदि कोई बैंक जमा 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक अप्रयुक्त रहता है, तो उसे जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEA Fund) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- स्थानांतरण के बाद भी धन का स्वामित्व जमाकर्ता के पास ही रहता है। जमाकर्ता या उनके उत्तराधिकारी किसी भी समय इस राशि का दावा कर सकते हैं।

स्रोत: TH

गन्ने के लिए न्यायसंगत एवं पारिश्रमिक मूल्य (FRP) – 2026–27

समाचार में

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2026–27 के लिए गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल (10.25% रिकवरी दर पर) स्वीकृति किया।

FRP क्या है?

- FRP वह न्यूनतम मूल्य है जिसे सरकार द्वारा अनिवार्य किया जाता है और चीनी मिलों को किसानों को उनके उत्पाद के लिए भुगतान करना होता है।
- FRP प्रत्येक वर्ष आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा तय किया जाता है, जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों व अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद निर्णय लेती है।
- गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 के अनुसार भुगतान 14 दिनों के अंदर करना अनिवार्य है, अन्यथा गन्ना आयुक्त मिल मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।
- किसानों का बकाया न चुकाने पर मिल की संपत्ति तक जब्त की जा सकती है।

तंत्र

- FRP तय करने की प्रक्रिया वही है जो 23 अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारण में अपनाई जाती है।
- अंतर यह है कि MSP कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, जबकि FRP का भुगतान कानूनी रूप से अनिवार्य है।
- FRP गन्ने से चीनी की रिकवरी दर पर आधारित होता है।
- रिकवरी दर जितनी अधिक होगी, FRP उतना ही अधिक होगा और चीनी उत्पादन भी अधिक होगा।

स्रोत: PIB

दक्षिण तटीय रेलवे (SCoR) ज़ोन

संदर्भ

- रेल मंत्रालय ने दक्षिण तटीय रेलवे (SCoR) ज़ोन की अधिसूचना जारी की है। यह भारत का 18वाँ रेलवे ज़ोन होगा, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा।

परिचय

- **औपचारिक गठन:** यह ज़ोन रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 3(4) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना द्वारा गठित किया गया।
- **संरचना:** नए SCoR ज़ोन में वर्तमान विजयवाड़ा, गुंटकल और गुंटूर मंडल शामिल होंगे, साथ ही वर्तमान वॉल्टेयर मंडल के पुनर्गठन से एक नया मंडल बनाया जाएगा।
 - **मार्ग लंबाई:** यह ज़ोन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में लगभग 3,300 किमी मार्ग लंबाई को कवर करेगा।

भारत में वर्तमान रेलवे ज़ोन

S.NO.	RAILWAY ZONES	Headquarter
1.	Central Railway	Mumbai
2.	Eastern Railway	Kolkata
3.	East Central Railway	Hajipur
4.	East Coast Railway	Bhubaneswar
5.	Northern Railway	New Delhi
6.	North Central Railway	Allahabad
7.	North Eastern Railway	Gorakhpur
8.	Northeast Frontier Railway	Guwahati
9.	North Western Railway	Jaipur
10.	Southern Railway	Chennai
11.	South Central Railway	Secunderabad
12.	South Eastern Railway	Kolkata
13.	South East Central Railway	Bilaspur
14.	South Western Railway	Hubli
15.	Western Railway	Mumbai
16.	West Central Railway	Jabalpur
17.	Metro Railway	Kolkata

स्रोत: TH

जमैका

संदर्भ

- भारत और जमैका ने विदेश मंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सहयोग, सौर ऊर्जा एवं प्रसारण के क्षेत्र में तीन समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए।

परिचय

- भारत और जमैका ने स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना, डिजिटलाइजेशन, कृषि, शिक्षा, पर्यटन एवं क्षमता निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

- उन्होंने ICCR छात्रवृत्ति और E-विद्याभारती तथा iGOT कर्मयोगी जैसे डिजिटल शिक्षण प्लेटफार्मों के माध्यम से क्षमता निर्माण पर भी विचार किया।

जमैका

- जमैका कैरेबियन सागर में स्थित एक पर्वतीय द्वीप है, जो क्यूबा के दक्षिण में स्थित है।



- यह ग्रेटर एंटिलीज़ नामक कैरेबियन द्वीप श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें क्यूबा, हिस्पानियोला और प्यूर्टो रिको शामिल हैं।
- यह कैरेबियन सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, क्यूबा और हिस्पानियोला के बाद।
- जमैका ने 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा।
- इसका निर्माण लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तरी अमेरिकी और कैरेबियन टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ।
- **मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ:** ब्लू माउंटेन्स, जॉन क्रो माउंटेन्स, डॉन फिगुएरो माउंटेन्स, कॉकपिट कंट्री।
- **मुख्य नदियाँ:** ब्लैक रिवर, रियो कोबरे, रियो ग्रांडे।

स्रोत: DD

पुलित्ज़र पुरस्कार 2026

संदर्भ

- भारतीय पत्रकार आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा ने नटाली ओबिको पियर्सन के साथ मिलकर ब्लूमबर्ग परियोजना 'trAPPed' के लिए चित्रित रिपोर्टिंग और

टिप्पणी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 जीता। इस परियोजना ने भारत में “डिजिटल गिरफ्तारी” धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया।

पुलित्जर पुरस्कार

- पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना 1917 में हुई थी। इसका नाम समाचार प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में रखा गया और यह अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रशासित है।
- इसमें कुल 23 श्रेणियाँ होती हैं। इनमें से 22 श्रेणियों में विजेताओं को प्रमाणपत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर दिए जाते हैं। केवल पब्लिक सर्विस श्रेणी में स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
- यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उत्कृष्टता को मान्यता देता है।

पूर्व भारतीय विजेता

- **गोबिंद बिहारी लाल:** 1937 में पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। वे अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्य थे।
- **सिद्धार्थ मुखर्जी:** द एम्परर ऑफ ऑल मेलडीज़: ए बायोग्राफी ऑफ कैसर पुस्तक के लिए जनरल नॉन-फिक्शन श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया।
- **दानिश सिद्दीकी:** फोटो पत्रकार और दो बार पुलित्जर पुरस्कार विजेता।
 - ♦ 2018: रोहिंग्या संकट कवरेज के लिए।
 - ♦ 2020: भारत में कोविड-19 के मानवीय प्रभाव को दर्शाने वाली शक्तिशाली तस्वीरों के लिए।

स्रोत: AIR

